FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

पूनमाराम वगैरा बनाम राजूराम

किस्म मुकदमा रा० वाद 88,188,209 RTAct नं. 33/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/02/2022	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री गणेश कुमार गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा 88,188,209 RTAct राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/02/2022 को पेश हो।	
21/02/2022	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं उपस्थित होकर इकबाली जवाबदावा पेश किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-1 स्वयं PW-1-पूनमाराम पुत्र राजूराम जाति-जाट निवासी-पुतरा-णियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तहसील-बायतु व PW-2-दासूराम पुत्र पूनमाराम जाति-जाट निवासी-पुतराणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तहसील-बायतु के शपथ-पत्र मय दस्तावेजों की सूचि-	पूनमाराम डूंगराराम Madal Madal राजूराम दासूराम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रथम खतौनी सम्वत -2012- 2031 मौजा माडपुरा बरवाला खाता संख्या- 115,116 व प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 282 दिनांक- 02/09/1982 तथा साथ ही वादीगणों द्वारा वारिस संबंधी शपथ-पत्र पेश किया गया, एवम प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं का शपथ-पत्र DW-1- राजूराम पुत्र धनाराम जाति- जाट निवासी- चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तहसील- बायतु के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा प्रस्तुत इकबालीया जवाबदावा का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

.लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या— 33 / 2022

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण:
1. पूनमाराम पुत्र राजूराम
2. डूंगराराम पुत्र राजूराम
3. मदललाल पुत्र राजूराम
   जाति जाट निवासी चुतराणियों की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील बायतु, जिला बाड़मेर।

प्रतिवादीगण:
1. राजूराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी चुतराणियों की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील बायतु, जिला बाड़मेर।
2. तहसीलदार, बायतु जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :—

1. वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1

—: निर्णय :— **दिनांक** : 21/02/2022

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक व संयुक्त कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 491 रकबा 3.3735 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज के वंशज है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता तथा बाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं पूनमाराम पुत्र राजूराम का शपथ पत्र PW 1 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं राजूराम पुत्र कानाराम का

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

DW 1 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने वाली जवाबदावा पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ वादीगणे सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 491 रकबा 3.3735 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बायतु

निर्णय आज दिनांक 21/02/2022 को न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण:
1. पूनमाराम पुत्र राजूराम
2. डूंगराराम पुत्र राजूराम
3. मदललाल पुत्र राजूराम
जाति जाट निवासी चुतराणियों की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील बायतु, जिला बाडमेर।

प्रतिवादीगण:
1. राजूराम पुत्र कानाराम
जाति जाट निवासी चुतराणियों की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील बायतु, जिला बाड़मेर।
2. तहसीलदार, बायतु जिला बाडमेर।

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या– 33/2022. — निर्णय दिनांक :– 21/02/2022

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/02/2022 को (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 491 रकबा 3.3735 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	शून्य	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	शून्य
जोड	शून्य	जोड	शून्य